राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

फूली देवी बनाम जगदीश नारायण

01/2013 380/2013

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

24/11/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस हेतु एक अवसर चाहा | न्यायहित में अधिवक्ता अपीलार्थी को बहस हेतु एक अवसर प्रदान किया जाता है | पत्रावली अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस अन्तिम हेतु दिनांक 02/12/2025 को पेश हो |

02/12/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पत्रावली पर पूर्व में सुनी जा चुकी है | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 08/12/2025 को पेश हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

08/12/2025

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीयां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/09/2013 पारित करते हुए तहसीलदार चाकसू को वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कादेड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1325 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1326 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1327 रकबा 0.93 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 2.53 हैक्टेयर का तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयां द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस यह आपत्ति जाहिर की गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य-सबूत प्राप्त किये बगैर एवं तनकीयात कायम किये बगैर ही विधि के प्रावधानों की अनदेखी कर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री गलत रूप से पारित की है | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि विचाराधीन वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का है एवं विधि के प्रावधानों के अनुसरण में विभाजन के वाद में यदि कोई काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नही किया हो, तो राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने होते है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	फूली देवी बनाम जगदीश नारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, उसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/09/2013 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	